न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–रिछपाल सिह बुरडक (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :–**108/2019**

अपीलान्ट:–

1. नानूराम पुत्र कुशालाराम जाति जाट निवासी दुदौली तहसील डीडवाना जिला नागौर।

रेस्पोडेन्ट :–

1. नायब तहसीलदार, डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर।

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री लाल सिंह गोदारा अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील विरूद्ध निर्णय प्रकरण संख्या 08/2019 दिनांक 06.04.2019 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का पालोट बनाम नानूराम पुत्र कुशालाराम द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार डीडवाना अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–**13.08.2021**

{1} यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार डीडवाना के प्रकरण संख्या 08/2019 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का पालोट बनाम नानूराम पुत्र कुशालाराम में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.04.2019 को आयोजित राजस्व कैम्प ग्राम दुदौली में पटवारी, हल्का पालोट ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार डीडवाना को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा दुदौली के खसरा नंबर 288 कुल रकबा 12–13 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि में से 5 बिस्वा भूमि पर में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा दुदौली के खसरा नंबर 288 कुल रकबा 12–13 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि में से 5 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा दुदौली के खसरा नंबर 288 कुल रकबा 12–13 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि में से अतिक्रमित 5 बिस्वा भूमि में से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 38/– अक्षरे अडतीस रूपये कायम किया गया।

{3} अपीलांट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :–

{3} 1. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को जवाब का अवसर दिये बिना ही और विधिक प्रक्रिया से परे जाकर उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है। विदित रहे कि अप्रार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2019 को ही राजस्व कैम्प ग्राम दुदौली में ही कैम्प आयोजित कर बिना तामिल करायें तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया तथा पटवारी की असत्य तथा बिना नाप की रिपोर्ट पर ही उक्त निर्णय पारित कर दिया है जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 2. यह है कि इसके बाद बिना किसी साक्ष्य के या पटवारी बयानों के विधिक प्रक्रिया से परे जाकर अप्रार्थी को किसी प्रकार की साक्ष्य का मौका नहीं देकर अप्रार्थी की अनुपस्थिति में ही उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर बिना किसी आधार के अपीलार्थी को 05 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए 38/– रूपये दण्ड स्वरूप आरोपित कर उसे अतिक्रमित घोषित कर दिया। जबकि पत्रावली में अभियोगी प्रार्थी/पटवारी हल्का पालोट की स्पष्ट रूप से मौखिक साक्ष्य मय दस्तावेज के लेना आवश्यक था। यही नहीं अप्रार्थी/अपीलार्थी को उक्त पटवारी से जिरह का मौका दिया जाना आवश्यक था। विशेष रूप से जब पटवारी की रिपोर्ट में न तो किसी प्रकार का नाप दर्शित हैं न कोई मुश्किल पोइन्ट दर्शित है तब पटवारी ने मौखिक आधार पर यह असत्य रिपोर्ट लिख दी की तथा उक्त रिपोर्ट पर ही अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर दिया पटवारी की उक्त असत्य रिपोर्ट व बिना किसी साक्ष्य के विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3} 3. यह है कि खसरा नंबर 301 के खातेदार सुभाष चन्द्र द्वारा अपने निजी स्वार्थ साधने हेतु रचे षड्यन्त्र के तहत षडयन्त्र समुह द्वारा बार–बार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में झुठी शिकायतें प्रस्तुत की गई थी , उन सूचनाओं के संबध में भी अपीलार्थी के पिता द्वारा वापिस तहसीलदार डीडवाना को रूबरू करवाया था तथा तहसीलदार डीडवाना द्वारा उक्त सूचनाओं को असत्य माना गया है। अंतिम जांच तहसीलदार के आदेश क्रमांक प2 (5)/राजस्व/19/1754–55 दिनांक 23.07.2019 की पालना में संबधित अधिकारी दिनांक 27.07.2019 को मौके पर पहुंच जाच रिपोर्ट तैयार की है। जिसे तहसीलदार डीडवाना को दिनांक 29.07.2019 को प्रस्तुत की गई है जिसमें हमारा कही पर भी अतिक्रमण नहीं पाया गया तथा अपीलार्थी के खेत की सीवें तहसीलदार डीडवाना द्वारा सीमांकन कर बताये गये निर्धारित चिन्हों पर कायम है तथा जो सीवें फसल की सुरक्षा हेतु बनाई गई, जिन सीवा का कोई भी हिस्सा रास्तें की भूमि पर अतिक्रमण के रूप में मौजुद नहीं है।

{4} उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 03.12.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 03.12.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्र क्रमांक/राजस्व/2021/626 दिनांक 16.03.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मय आदेशिका दिनांक 06.04.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल पटवारी रिपोर्ट नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि एव फर्द बेदखली प्रतिलिपि पेश की है।

{5} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबधं में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 06.04.2019 को पारित किया है तथा प्रार्थी को इस निर्णय की जानकारी 23.10.2019 को नकले प्राप्त करने से हुई। प्रार्थी ने आगे निवेदन किया है कि अपील में हुयी देरी माफ योग्य हैं क्योकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को तामील भी नही करायी गई तथा न ही आदेश की कोई सूचना दी गई जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के समय को कण्डोन किये जाने के आदेश फरमावे। अपीलार्थी/प्रार्थी को जानकारी का अभाव होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी पर, सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाकर उक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
डीडवाना

समयावधि को कण्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{6} बहस अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एवं आधारो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर कोई अनाधिकृत अतिक्रमण नही किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.04.2019 को राजस्व कैम्प ग्राम दुदौली में आयोजित कैम्प में बिना विधिवत तामील करवाये एव बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही अप्रार्थी/अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के या पटवारी बयानों के विधिक प्रकिया से परे जाकर आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य से बिना जवाब के उक्त निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या तथ्य अंकित कर निर्णय पारित किया है । आगे अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट का कोई कब्जा नही होने से तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सर्व मान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य हैं।

{7} बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। राजस्व कैम्प ग्राम दुदौली में दिनांक 06.04.2019 को पटवारी हल्का सुद्रासन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, जिसके अनुसार अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा दुदौली के खसरा नंबर 288 कुल रकबा 12–13 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि में से 5 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है।

अधीनस्थ न्यायालय का पत्रावली का अवलोकन किया गया । आदेशिका दिनांक 06.04.2019 के अनुसार राजस्व कैम्प ग्राम दुदौली में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अप्रार्थी/अपीलांट को नोटिस जारी किया गया जिसे कैम्प में ही तामील होकर प्राप्त होना बताया गया है। वास्ते सूचना जारी नोटिस का हमने गभीरतापूवर्क अवलोकन किया जिसमें तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में अप्रार्थी नानूराम पुत्र कुशालाराम द्वारा नोटिस लेने से मना करना अंकित किया गया है तथा नोटिस की एक प्रति मौके पर पट्टी पर चस्पा करना बताया गया है। न्यायिक प्रकिया के अनुसार यदि पक्षकार नोटिस लेने से मना करते है तो नोटिस की चस्पानगी की कार्यवाही बाद न्यायालय स्वीकृति एव आदेश द्वारा ही की जा सकती है परन्तु इस प्रकार का कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त प्रकरण में बिना विधिवत नोटिस तामील करवाकर विधी के सुस्थापित सिद्धान्तों की अवहेलना कर निर्णय पारित करते हुए भारी न्यायिक भूल की हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

वक्त बहस वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी ग्राम दुदौली संवत् 2074–2077 का अवलोकन किया गया जिसके कॉलम संख्या 4 (काश्तकार का नाम मय पिता का नाम ,जाति तथा निवास स्थान के पते सहित भू–धृति का स्वरूप) में कही भी अपीलांट नानूराम का नाम दर्ज नही है जबकि अपीलांट के पिता का नाम दर्ज रहा है। इस प्रकार खसरा नंबर 288 कुल रकबा 12–13 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 05 बिस्वा भूमि पर कच्ची बाड व डोल लगाकर अतिक्रमण करने का अपीलांट को कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरित है तथा आलौच्य अतिक्रमण भी युक्तिसंगत एवं मुनासिब प्रतीत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

–:आदेश:–

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 13.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)